

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-0135-2767611

संख्या:- 30 / FP/UK/ROAD/42172/2019 देहरादून: दिनांक 02 जुलाई, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र के देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत खोला धारपयांकोटी मोटरमार्ग के अंतिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनयाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर नव निर्माण हेतु 3.9737 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने का (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/42172/2019)।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 26.03.2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 26.03.2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर																								
1	On perusal of KML file of the proposed area, it has been noticed that villages are already connected with the existing road. State Government may submit the justification of the requirement of another road in hilly area fragmentation 3.0396 Ha. reserve forest area and 716 trees.	<u>बिन्दु संख्या-01</u> के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मोटरमार्ग का प्रारम्भिक बिन्दु देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में एवं अन्तिम बिन्दु घनसाली विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, इस प्रकार उक्त मोटरमार्ग दो विधानसभाओं को जोड़ने हेतु प्रस्तावित है। इस मार्ग के निर्माण से घनसाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उच्च शिक्षा हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर एवं चिकित्सा सुविधा हेतु बेस चिकित्सालय श्रीकोट, श्रीनगर आने जाने में लगभग 40 किमी० की दूरी कम हो जायेगी। वहीं देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीणों को जिला मुख्यालय टिहरी आने-जाने में लगभग 50 किमी० की दूरी कम हो जायेगी, जिससे उक्त क्षेत्रों के निवासियों का यातायात तो सुगम होगा ही साथ धन व समय की भी बचत होगी। वर्तमान में उक्त क्षेत्र के ग्रामिणों को दुर्गम रास्तों से होकर आना-जाना पड़ता है, जिस हेतु प्रस्तावित मोटरमार्ग का निर्माण किया जाना अन्यन्त आवश्यक है।																								
2	Detail of 716 trees in provided in the tree enumeration list submitted with the proposal but 473 trees detail is provided at para 4 in Part II. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/ documents.	<u>बिन्दु संख्या-02</u> के अनुपालन में वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि, प्रश्नगत मोटरमार्ग दो वन प्रभागों के अन्तर्गत पड़ने के मध्येनजर वृक्षों का विवरण निम्नवत् है :-																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०सं०</th> <th>प्रभाग का नाम</th> <th>वन का प्रकार</th> <th>वृक्षों की संख्या</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>नरेन्द्रनगर वन प्रभाग</td> <td>आरक्षित वन भूमि</td> <td>444</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>सिविल वन भूमि</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>नाप भूमि</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">नरेन्द्रनगर वन प्रभागान्तर्गत वन भूमि में</td> <td>473</td> </tr> </tbody> </table>	क्र०सं०	प्रभाग का नाम	वन का प्रकार	वृक्षों की संख्या	1	2	3	4	1	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	आरक्षित वन भूमि	444			सिविल वन भूमि	29			नाप भूमि	28		नरेन्द्रनगर वन प्रभागान्तर्गत वन भूमि में		473
क्र०सं०	प्रभाग का नाम	वन का प्रकार	वृक्षों की संख्या																							
1	2	3	4																							
1	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	आरक्षित वन भूमि	444																							
		सिविल वन भूमि	29																							
		नाप भूमि	28																							
	नरेन्द्रनगर वन प्रभागान्तर्गत वन भूमि में		473																							

		प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या	
2	टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी	आरक्षित वन भूमि	243
		सिविल वन भूमि	0
		नाप भूमि	0
		टिहरी वन प्रभागान्तर्गत वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या	243
		दोनों वन प्रभाग के अन्तर्गत वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या	716

जिसका विवरण भाग-02 के पैरा-4(ii) में प्रभागवार पृथक-पृथक किया गया है, सुलभ सन्दर्भ हेतु भाग-02 की प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक-01)

3	Details of alternative alignment and the reason of rejecting the alternate is not provided. State Government may submit the same.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मोटरमार्ग के सापेक्ष स्थानीय ग्रामवासियों के साथ मिलकर कई वैकल्पिक संरेखणों का निरीक्षण किया गया किन्तु वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाली वन भूमि, प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या, प्रतिबन्धित प्रजातियों (बॉज-बुराश) के वृक्षों की संख्या तथा ग्रामीणों की सहमति के आधार पर प्रस्तावित संरेखण का चयन करते हुये वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किया गया।
4	Comparative chart of the alternatives in not found submitted. State Government may submit the same.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटरमार्ग एवं उसके सापेक्ष चयनित वैकल्पिक संरेखण का तुलनात्मक विवरण तैयार पर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक-02)
5	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह वैकल्पिक संरेखण का उचित परीक्षण कर पातन हेतु आवश्यक वृक्षों की संख्या को न्यूनतम करें।	बिन्दु संख्या-05 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा जिन-जिन संरेखणों का चयन कर सर्वेक्षण किया गया का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि वैकल्पिक संरेखण में प्रस्तावित संरेखण से अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिससे प्रस्तावक विभाग द्वारा संरेखण 01 का चयन करते हुये प्रस्ताव गठित किया गया है।
6	Following observations are noticed in the muck disposal plan. State Government may made necessary corrections and submit the correct information/documents in this regard : (i) 43058 cum muck generation in 6 KM seem less calculated. State Government may review the same. (ii) Total calculation of generation and swell factor found incorrect. State Government may made necessary correction in this regard. (iii) Carrying capacity of each muck disposal site is not submitted. State Government may submit the same for each muck disposal site. (iv) Photograph and detailed plan is not found submitted. State Government may submit the same. (v) State Government is also requested to submit the reclamation plan.	बिन्दु संख्या-06 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटरमार्ग में 06 डम्पिंग जोनो का चयनित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है :- (i) उक्त मोटरमार्ग के संरेखण में प्रस्तावक विभाग द्वारा कुल 06 डम्पिंग जोन बनाये गये हैं, जिसका प्रस्ताव प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, (प्रति संलग्न) (ii) डम्पिंग जोन स्थल पर Earth & Gravel की अधिकता है, जिस कारण मलवा निस्तारण प्रस्ताव में मृदा का Swel factor 0.83 को सही कर लिया गया है, Swel factor 0.83 हेतु तालिका संलग्न है। (iii) प्रत्येक मकडम्पिंग साइट की धारण क्षमता विवरण मक डिस्पोजल प्लान आगणन में अंकित की गयी है। (iv) मकडम्पिंग साइट प्लान मय फोटोग्राफ सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (v) संशोधित मकडिस्पोजल प्लान प्रस्तावक विभाग द्वारा

(vi) State Government is requested to mark the location of the muck disposal site on the KML file.

प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

(vi) प्रस्ताव में संलग्न जी0आई0एस0 मैप एवं टोपोशीट मैप में प्रश्नगत मोटरमार्ग में पडने वाले डम्पिंग प्वाइंटों को लाल बिन्दु से प्रदर्शित करते हुये दर्शाया गया है. (संलग्नक-03)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न- यद्योपरि।

भवदीय,

(~~डॉ० कपिल जोशी~~)

अपर प्रमुख, वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या 30 / FP/UK/ROAD/42172/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

(~~डॉ० कपिल जोशी~~)

अपर प्रमुख, वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

मे